न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

बईजलास : श्री सुरेन्द्र कुमार सोलंकी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2016

दायर दिनांक – 02.11.2016
फैसल दिनांक – 22.03.2017

श्री भोगजी पिता लालजी पाटीदार जाति पाटीदार उम्र 60 वर्ष निवासी चितरी तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती नाथी पत्नि सुखलाल पाटीदार निवासी चितरी तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्री सुखलाल पिता देवजी पाटीदार निवासी चितरी तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर (राज0)
3. श्रीमान् लेण्ड होल्ड जरिए तहसीलदार गलियाकोट जिला डूंगरपुर (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत

–: निर्णय :–

यह अपील प्रार्थी की आरे से विरूद्ध विपक्षीगण के इस आशय की प्रस्तुत की हैं कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति के मिसल नंबर 2219/02 दिनांक 26.06.2002 को ग्राम चितरी की आ.नं. 2009, 2939, 5155/2939 में क्रमशः रकबा 00–15, 00–05 एवं 4–00 बीघा कुल रकबा 5–00 बीघा भूमि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत विपक्षी संख्या 1 व 2 को किये गये कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन से असंतुष्ट होकर उक्त नियम के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्त कराने हेतु पेश की हैं। विवेचित भूमि पर प्रार्थी का 40 वर्षो से कब्जा हैं। विवेचित भूमि को रिक्त नहीं होने के बावजूद भूमि विवाद रहित बताकर Fraud & Misrepresentiation से भूमि आवंटित की जाने से प्रार्थी द्वारा भूमि आवंटन निरस्त कराने का अनुरोध किया गया।

अतः पत्राली दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालातनामा पेश हुआ जो शामील पत्रावली किया गया।

प्रकरण में दौरान कार्यवाही प्रार्थी की और से उनके वकील ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करन निवेदन कया है कि विवेचित भूमि आवंटन निरस्ती हेतु प्रेषित प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया हैं। विवेचित मामलों में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही कराने नहीं चाहते हैं। प्रकरण इसी स्टेज पर विड्रो कर फैसल करने का प्रार्थी ने अनुरोध किया।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

अतः प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विवेचित भूमि का पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने एवं प्रकरण फैसल करने की प्रार्थना पर प्रकरण की कार्यवाही ड्रोप की जाती हैं। पत्रावली में अग्रीम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की गई।

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर